न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2023/ 165 दिनांक 17/01/2023

अनवान :–

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
हीराराम वगैरा	बनाम	बांकाराम वगैरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम वास्ते करने नेखमबंदी बाबत |

राजस्व आवेदन सं. 138/2022 दिनांक : 17.01.2023

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र नेतराड़ के मौजा नेतराड़ के खेत खसरा सं. 443, 866, 867 रकबा 04.9048, 0.0728, 05.3095 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है| उक्त विवादित भूमी के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है| उक्त विवादित भूमी की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमी की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे|

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों| आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है | प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे|

(SDO) उपखण्ड अधिकारी चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

क्रमांक/भू.अ./2023/ 166 to 169 दिनांक 17/01/2023

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीगण हीराराम वगैरा
3. विप्रार्थीगण बांकाराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धोरीमन्ना/बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2023.02.10 16:39:54 IST
Reason: SelfAttested

(भागीरथ राम II)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन